

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,  
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं.—24ए/2016  
संस्थित दिनांक —12.03.2014

सादका पत्नी सलीम खां पुत्री इन्तिजार हुसैन जाति मुसलमान  
आयु 51 साल धंधा कुछ नहीं निवासी चंदेरी हाल निवासी  
कुकददस नगर बौगदा पुल भोपाल म0प्र0

..... वादी

विरुद्ध

1. मेहफूज हुसैन मिर्जा पुत्र मुबारिक हुसैन जाति मुसलमान आयु 51  
साल धंधा स्टाम्प विक्रेता निवासी मैदान गली चंदेरी,
2. रामकिशोर मिश्रा उर्फ मुन्नू महाराज पुत्र किशन लाल जाति,  
ब्राम्हण धंधा मोटर मालिक,
3. रामगोपाल पुत्र देशराज अरोरा जाति पंजाबी निवासीगण दोनों  
कागदीपुरा चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
4. म0प्र0 शासन द्वारा जिलाधीश जिला अशोकनगर म0प्र0
5. शोएब हुसैन पुत्र हबीब हुसैन,
6. हुसीब हुसैन पुत्र हबीब हुसैन,  
निवासीगण मैदान गली तहसील चंदेरी,
7. अजहर हुसैन पुत्र असगर हुसैन,
8. शाकिर हुसैन पु नासिर हुसैन,
9. रासिद हुसैन पुत्र वाकर हुसैन,
10. शाहरूख हुसैन पुत्र वाकर हुसैन,
11. हासिल हुसैन पुत्र वाकर हुसैन,
12. कीरोज हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन,
13. सलमान हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन,
14. आमिर हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन,
15. वासिम हुसैन पुत्र जाकिस हुसैन,
16. जूबेर हुसैन पुत्र जाहिद हुसैन, नाबलिंग  
संरक्षक मां सन्नो बानो

17. जूबेर हुसैन पुत्र जाहिद हुसैन, नाबलिंग  
संरक्षक मां सन्नो बानो
18. जिया हुसैन पुत्र जाहिद हुसैन, नाबलिंग  
संरक्षक मां सन्नो बानो
19. सन्नोबाई पत्नी जाहिद हुसैन,
20. अफजल हुसैन पुत्र अख्तार अहमद,
21. सरताज हुसैन पुत्र अख्तार अहमद,
22. अमन अहमद पुत्र अख्तार अहमद,  
सभी मुसलमान सभी निवासीगण मैदान गली  
जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 31.10.2017 को पारित ::

- 01— यह वाद विवादित भूमि सर्वे क्रमांक—914 रकबा—1.118 हैक्टेयर में से रकबा—1.189 हैक्टेयर स्थित कस्बा चंदेरी, जिसे निर्णय के आगे के चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, के संबंध में वादी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक—11.02.2000 के आधार पर वादी के स्वत्व की घोषणा किये जाने एवं दिनांक—20.06.2003 को प्रतिवादी क्रमांक—1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा फर्जी होने के आधार पर शून्य घोषित किये जाने के साथ प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा उक्त वसीयतनामों के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक—13.02.2014 सहित तहसीलदार चंदेरी के द्वारा उक्त आधार पर विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 व 3 का किया गया, नामांतरण वादी के हितों के मुकाबले शून्य घोषित किये जाने की सहायता सहित प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।
- 02— वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि राजस्व परिपत्रों में वर्ष 2013 तक वादी की दादी छोटी बाई उर्फ मुश्तरीबाई पत्नी सादिक हुसैन के स्वामित्व व आधिपत्य की दर्ज थी। मुश्तरीबाई ने वर्ष 1992 में अपने हिस्से के मकान भूमि और खिन्नी के वृक्षों की वसीयत वादी तथा उसके पिता इंतजार हुसैन के नाम पर निष्पादित की थी, परन्तु वर्ष 1998 में वादी के पिता इंतजार

हुसैन का देहांत होने के बाद पुनः मुश्तरी बाई ने अपने भूमि मकान व खिन्नी के वृक्षों की रजिस्टर्ड वसीयत महादेव प्रसाद लिखवा कर दिनांक—11.02.2002 को वादिनी के पक्ष में निष्पादित की थीं, जिसके साक्षी अनीस खां व प्रतिवादी मेहफूज हुसैन मिर्जा थे। वादी के अनुसार मुश्तरी बाई उसके साथ भोपाल में रहती थी और वहीं दिनांक—20.05.2004 को उसका देहांत हुआ था तथा उसी ने मुश्तरी बाई की काज क्रिया की। वादी चूंकि भोपाल में रहती थीं, इसलिए वसीयत के आधार पर अपना नामांतरण नहीं कर सकी इसका लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अपने नाम की मुश्तरीबाई के द्वारा निष्पादित फर्जी वसीयत दिनांक—20.06.2003 हनीफ खां व इखलाक खां को साक्षी बनाकर बना ली।

03— उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक—22.02.2013 को प्रतिवादी क्रमांक—1 का अवैधानिक नामांतरण वसीयत के आधार पर कर दिया, जिसके विरुद्ध अपील दिनांक—01.02.2004 को एस0डी0ओ0 न्यायालय में अवैधानिक रूप से निरस्त कर दी। प्रतिवादी क्रमांक—1 ने इसका लाभ उठाकर दिनांक—13.02.2014 को विवादित भूमि का विक्रयपत्र प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 ने अपना नामांतरण करा लिया। वाद कारण दिनांक—01.02.2014 को वादी की अपील निरस्त होने एवं दिनांक—13.02.2014 को प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 के पक्ष में विक्रयपत्र संपादित होने से तहसील चंदेरी में उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात् यह वाद विवादित भूमि के लगान के 20 गुना 145/— रुपये पर वाद मूल्य निर्धारित कर कुल 600/— रुपये न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्रमांक—1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।

04— प्रतिवादी क्रमांक—1 एवं प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 के द्वारा पृथक—पृथक उत्तर दावा प्रस्तुत कर अपने अभिवचनों में स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर वादी के अधिकांश अभिवचनों का खण्डन किया है। प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 व 3 के अभिवचन अनुसार छोटी बाई वादी की दादी नहीं थी, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की बड़ी मां थीं। छोटी बाई ने विवादित भूमि की कभी कोई वसीयत प्रतिवादी क्रमांक—1 के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं की। छोटी बाई ने वादी तथा पिता के पक्ष में केवल मकान एवं खिन्नी के वृक्षों के संबंध में वसीयतनामा पूर्व में संपादित किया था, जो पुनः वादी के पक्ष में दिनांक—11.02.2000 को वसीयतनामा संपादित कर पूर्व का वसीयतनामा

निरस्त कर दिया। वादी के कृत्यों से दुःखी होकर प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में दिनांक-20.06.2003 को प्रतिवादी क्रमांक-1 के हित में वसीयतनामा निष्पादित कर वादी के हित में निष्पादित किया गया, पूर्व का वसीयतनामा पुनः निरस्त कर दिया। छोटी बाई का दिनांक-20.05.2005 को भोपाल में देहांत नहीं हुआ, वादी ने फर्जी मृत्युप्रमाण तैयार किया है। छोटी बाई के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में विवादित भूमि के पक्ष में निष्पादित की वसीयत अंतिम वसीयत है, जिससे वादी को पूर्व की वसीयत के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में निष्पादित हुई वसीयत के साक्षी हनीफ खां व इखलाक खां हैं, जिसे वादिनी ने अपने प्रभाव में लेकर गलत शपथ पत्र तैयार करा लिया है।

- 05— तहसीलदार चंदेरी के द्वारा विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का विधिवत् नामांतरण किया गया है। वादी ने तहसीलदार के आदेश को शून्य घोषित किये जाने का सहायता चाही है, परन्तु धारा 80 व्य0प्र0स0 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। तहसीलदार चंदेरी व अनुविभागीय अधिकारी को आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने से प्रकरण में असंयोजन का दोष है। वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र अनुसार विक्रयमूल्य 15,50,000 रुपये है इस कारण इस न्यायालय को वाद के विचारण की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता नहीं है। वादी ने वाद का मूल्य भी उक्त आधार पर निर्धारित न करते हुये पर्याप्त न्यायशुल्क चसपा नहीं किया। वादी ने विवादित भूमि पर कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही है तथा दावा अवधि बाधित भी है, जिसके आधार पर दावा निरस्त किये जाने की सहायता चाही है।
- 06— प्रतिवादी क्रमांक-5 लगायत 12 ने अपने जबाब दावे में वादी के अभिवचनों को स्वीकार किया है तथा उनका कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 प्रतिवादी क्रमांक-4 व 5 को अवैधानिक रूप से बिना खाता पृथक कराये एवं बिना सीमाकन करायें विक्रय पत्र संपादित किया है, जो अवैधानिक हैं। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विक्रयपत्र के निष्पादन के पूर्व न तो उदघोषणा जारी की और न ही बटवारा कराया। विवादित भूमि वादी तथा प्रतिवादी का पैतृक कब्रिस्तान है। अतः प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र निरस्त किये जाने की सहायता चाही।
- 07— प्रतिवादी क्रमांक-4 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रकरण में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

08— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी कस्बा चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 914 रकबा 1.118 हेक्टेयर में से छोटीबाई (छुट्टो) उर्फ मुश्तरीबाई के हिस्सा रकबा 0.189 हेक्टेयर भूमि की रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 11.02.2000 के आधार पर स्वत्व धारी है ?	प्रमाणित है।
2.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा छोटीबाई (छुट्टो) उर्फ मुश्तरीबाई का जाली वसीयतनामा दिनांक 20.06.03 तैयार कराया गया जो वादी के स्वत्व के मुकाबले शून्य है ?	प्रमाणित है।
3.	क्या वसीयतनामा दिनांक 20.06.03 के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 व 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2014 हक विहीन लेने से शून्य है ?	प्रमाणित है।
4.	क्या तहसीलदार चंदेरी द्वारा दिनांक 22.03.2013 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में किया गया नामांतरण आदेश अवैधानिक होकर शून्य है ?	प्रमाणित है।
5.	क्या प्रस्तुत वाद में मध्यप्रदेश शासन आवश्यक पक्षकार होकर प्रकरण में असंयोजन का दोष है ?	प्रमाणित नहीं।
6.	क्या प्रस्तुत वाद के श्रवण करने का इस न्यायालय को आर्थिक क्षेत्राधिकार है ?	प्रमाणित है।

7.	क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का उचित मूल्यांकन किया जाकर उस पर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?	प्रमाणित है।
8.	क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं।
9.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 38 अनुसार प्रदान की गई।

—सकारण निष्कर्ष:—

### **वाद प्रश्न क्रमांक—1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

- 09— सादका (वा0सा—1) का अपने सशपथ कथनों में अपने अभिवचनों की पुष्टि में कहना है कि छोटी बाई ने विवादित भूमि सहित मकान व खिन्नी के पेड़ों की वसीयत 16—17 साल पहले उसे व उसके पिता इंतजार हुसैन को थी जिसके साक्षी शेर मोहम्मद व शोएब हुसैन थे। उक्त वसीयत पंजीकृत वसीयत थी जिसकी नोटरी महेंद्र अधिवक्ता ने की थी एवं अधिवक्ता सतीश ने उक्त वसीयत लिखी थी। इस साक्षी के अनुसार पिता के देहांत के बाद पुनः छोटी बाई ने करीब 15 साल पहले महादेव प्रसाद से वसीयत लिखावा कर उसके पक्ष में की थी, जिसके साक्षी हनीफ खां व स्वयं प्रतिवादी मेहफूज हुसैन (प्र0सा—1) थे और इसके बाद दिनांक 20.05.2004 को भोपाल में छोटी बाई का देहांत हो गया था।
- 10— वादी की ओर से अपने समर्थन में छोटी बाई के द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित की गई, दोनों रजिस्टर्ड वसीयत प्रदर्श—पी—1 व 2 प्रकरण में प्रस्तुत की हैं, प्रदर्श—पी—2 की वसीयत छोटी बाई के द्वारा वादी तथा उसके पिता के पक्ष में 1992 में निष्पादित की गई एवं प्रदर्श—पी—1 की वसीयत वादी के पिता के देहांत के बाद वादी के पक्ष में छोटी बाई के द्वारा निष्पादित की गई, इस तथ्य को एवं उपरोक्त दस्तावेजों को प्रतिवादीगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई, बल्कि स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में उक्त वसीयतों

का निष्पादन छोटी बाई के द्वारा वादी के पक्ष में किया जाना स्वीकार किया है।

- 11— प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में वादी के पक्ष में निष्पादित छोटी बाई के द्वारा निष्पादित की गई वसीयतों को स्वीकार अवश्य किया है परन्तु उक्त वसीयतों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त वसीयत विवादित भूमि के संबंध में नहीं की गई। मेहफूज हुसैन (प्र0सा-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-17 व 23 में स्वयं वादी के पक्ष में निष्पादित हुई, वसीयतों को स्वीकार किया है, परन्तु प्रतिवादी मेहफूज हुसैन के द्वारा उपरोक्त वसीयतों को इस आधार पर कथनों में मुख्य रूप से चुनौती दी गई है कि वादी के पक्ष में निष्पादित हुई वसीयत प्रदर्श-पी-1 व 2 विवादित भूमि के संबंध में निष्पादित नहीं की गई।
- 12— प्रदर्श-पी-2 की वसीयत पूर्व की है, जिसके पश्चात् वर्ष 2000 में छोटी बाई के द्वारा प्रदर्श-पी-1 की वसीयत वादी के पक्ष में किया जाना प्रकरण में स्वीकृत है। अतः प्रदर्श-पी-1 की वसीयत स्वीकृत होने के बाद प्रदर्श-पी-2 की वसीयत के प्रमाणिकरण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु विवादित भूमि के संबंध में उपरोक्त दोनों ही वसीयतों को देखा जाये, तो प्रदर्श-पी-2 की वसीयत में छोटी बाई ने अपने हिस्से का पूर्वजों का बगीचा जिसमें आम और खिन्नी के पेड़ लगे हैं जो कस्बा चंदेरी में स्थित होना बताया है, उसकी वसीयत वादी के पक्ष में की जाने का उल्लेख है। उक्त भूमि की स्थिति प्रदर्श-पी-1 की वसीयत में स्पष्ट करते हुये, प्रदर्श-पी-1 की वसीयत में लेख है कि उक्त भूमि तालाब पन बावडी के पास स्थित हैं, जिसमें कब्रिस्तान है और आम और खिन्नी के पेड़ स्थित हैं।
- 13— अतः प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श-पी-1 व 2 की वसीयत से यह दर्शित होता है कि छोटी बाई के द्वारा वादी के हित में केवल मकान और पेड़ों की वसीयत नहीं की गई, बल्कि पन बावडी तालाब स्थित उसके अंश की भूमि जिसमें खिन्नी और आम के पेड़ सहित कब्रिस्तान है, की भी वसीयत की गई। वादी सादका (वा0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-12 में वसीयत की गई विवादित भूमि की स्थिति स्पष्ट करते हुये, विवादित भूमि के पास धुबैया तालाब और बदलिया बावडी होने का उल्लेख किया है। वादी के द्वारा

विवादित भूमि की पहचान के संबंध में दिये गये उपरोक्त कथनों को प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई की वादी के द्वारा जो भूमि बताई गई है उसी उल्लेख वसीयत प्रदर्श-पी-1 में है। विवादित भूमि की स्थिति रामकिशोर (प्र0सा0-1) के कथनों से भी स्पष्ट होती है जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 से विवादित भूमि छोटी बाई के वसीयत के आधार पर क्रय की। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में यह स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि के पास पन वाबडी तालाब और धुबैया तालाब है।

- 14— अतः प्रदर्श-पी-1 के वसीयतनामा एवं उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादीगण का यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि छोटी बाई के द्वारा वादी के पक्ष में की गई वसीयत प्रदर्श-पी-1 में विवादित भूमि का उल्लेख नहीं है। यदि प्रतिवादीगण प्रदर्श-पी-1 के वसीयत का निष्पादन छोटी बाई के द्वारा वादी के पक्ष में किया जाना स्वीकार करता है, तो वह उस स्वीकृति से प्रदर्श-पी-1 की पूरी अंतर वस्तु को स्वीकार करते हैं।
- 15— भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-63 के तहत वसीयत का दो साक्षियों से अनुप्रमाणित होना आवश्यक है, जिसके संबंध में वादी ने अपने अभिवचनों में व कथनों में यह स्पष्ट किया है कि प्रदर्श-पी-1 की वसीयत के साक्षी अनीस खां व प्रतिवादी क्रमांक-1 मेहफूज हुसैन हैं। वादी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-11 में यह स्पष्ट किया है कि वसीयत का एक साक्षी अनीस खां फौत हो चुका है वहीं दूसरा साक्षी स्वयं प्रतिवादी क्रमांक-1 मेहफूज हुसैन है।
- 16— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-67 के अनुसार वसीयत को प्रमाणित करने के लिये वसीयत का अनुप्रमाणन कम से कम वसीयत के एक अनुप्रमाणन साक्षी को बुलाकर किया जाना आवश्यक है, इसके अभाव में वसीयत साक्ष्य में नहीं पढ़ी जा सकती है तथा उक्त अनुप्रमाणक साक्षी को वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार की अधिनियम की धारा-63 C के अनुसार प्रमाणित करना होता है। वर्तमान प्रकरण में प्रदर्श-पी-1 की वसीयत का एक अनुप्रमाणक साक्षी अनीस खां फौत हो चुका है, यह वादी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-11 में स्पष्ट किया है तथा इस तथ्य को प्रतिवादीगण की ओर से कोई चुनौती



नहीं दी गई। अतः अनीस खां के फौत हो जाने के बाद वसीयत का अन्य साक्षी प्रतिवादी मेहफूज हुसैन (प्र0सा0-2) शेष बचाता है, जिसे वादी ने स्वयं वसीयत को प्रमाणित कराने के लिये भले ही प्रस्तुत न किया हो, परन्तु वह न्यायालय में साक्ष्य देने के लिये उपस्थित हुआ है।

17— यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने अभिवचनों में एवं साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किये हैं कि प्रदर्श-पी-1 अनुप्रमाणक साक्षी स्वयं प्रतिवादी क्रमांक-1 मेहफूज हुसैन है, जिसका मेहफूज हुसैन (प्र0सा0-1) ने प्रस्तुत अभिवचनों में एवं सशपथ कथनों में कहीं पर भी खण्डन नहीं किया है, इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक-1 मेहफूज हुसैन अपने अभिवचनों में व साक्ष्य में छोटी बाई के द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक-11.02.2000 को निष्पादित की गई वसीयत प्रदर्श-पी-1 का निष्पादन स्वीकार करता है। उक्त निष्पादन स्वीकार किये जाने के बाद एवं उस पर अनुप्रमाणक साक्षी के रूप में अपने हस्ताक्षरों को कोई चुनौती न देने से अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह भी स्वीकृत है कि प्रदर्श-पी-1 पर मेहफूज हुसैन के अनुप्रमाणक साक्षी के रूप में हस्ताक्षर हैं और चूंकि वह प्रतिवादी था, उसे वादी ने भले ही स्वयं की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत कर वसीयत को प्रमाणित न कराया हो, उसने स्वयं ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रदर्श-पी-1 पर अपने हस्ताक्षरों को चुनौती न देने के कारण एवं प्रदर्श-पी-1 का निष्पादन स्वीकार करने से अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है।

18— प्रकरण में वादी की ओर से वर्तमान में प्रभारी उप-पंजीयक रामसेवक चतुर्वेदी (वा0सा-2) के कथन भी अपने समर्थन में कराये हैं। जिनके द्वारा अभिलेख के आधार पर इस बात की पुष्टि की गई है दिनांक-11.02.2000 को प्रदर्श-पी-1 की वसीयत पंजीयन कार्यालय चंदेरी में पंजीकृत हुई। यह उल्लेखनीय है कि यह उक्त वसीयत के पंजीयन के समय भी उप-पंजीयक के पद पर पदस्थ था तथा उसने अपने मुख्यपरीक्षण की कण्डिका-2 में इस बात पुष्टि की है कि दिनांक-11.02.2000 को प्रदर्श-पी-1 के साक्षी अनीस खां व एस0 एच0 मिर्जा ने अंगूठा रजिस्टर पर अंगूठा लगाया था।

19— रामसेवक चतुर्वेदी (वा0सा0-2) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि वसीयत का निष्पादन भले ही उसके सामने न हुआ हो, परन्तु उसके सामने

पंजीयन के समय पृष्ठांकन होता है, जिस पर उसके सामने साक्षियों ने प्रदर्श-पी-1 के पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श-पी-1 के पृष्ठ भाग पर साक्षी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक-1 के है, इस तथ्य को कोई चुनौती प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अभिवचनों में एव पूरी साक्ष्य के दौरान नहीं दी गई। इस साक्षी के द्वारा वसीयत के लिये संधारित अंगूठा रजिस्टर प्रदर्श-पी-23 पर उसके सामने साक्षियों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना बताया है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-23 सी प्रकरण में संलग्न है, परन्तु उक्त दस्तावेज पर भी प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने हस्ताक्षर होने का खण्डन नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रदर्श-पी-1 के वसीयत के निष्पादन को स्वीकार किया गया है, परन्तु इस बात के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि वसीयत पर अनुप्रमाणक साक्षी के रूप में किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है, क्योंकि यह साक्षी परिवार का ही सदस्य है। अभिलेख पर आदेश पत्रिकाओं पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के हस्ताक्षर उसके वसीयत पर प्रदर्श-पी-1 के हस्ताक्षरों के समान है। अतः उपरोक्त आधार पर इस संबंध में कोई संशेय की स्थिति नहीं है कि प्रदर्श-पी-1 का अनुप्रमाणक साक्षी प्रतिवादी क्रमांक-1 ही है।

- 20— जहां तक वसीयत को अनुप्रमाणक साक्षी के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-67 एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-63 C के प्रावधान अनुसार प्रमाणित करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में भले ही प्रतिवादी क्रमांक-1 मेहफूज हुसैन (प्र0सा0-2) ने अपने कथनों में वादी के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये, परन्तु प्रदर्श-पी-1 की वसीयत के निष्पादन को स्वीकार कर लेने एवं उस पर हस्ताक्षरों को चुनौती न देने के आधार वसीयत प्रदर्श-पी-1 को साक्ष्य अधिनियम की धारा-67 एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 C के प्रावधान अनुसार प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे दस्तावेज जिनका निष्पादन स्वीकृत होता है, उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-58 के अनुसार साबित करना आवश्यक नहीं है और यह स्थिति वसीयत के संबंध में भी लागू होती है। इस संबंध में न्यायालय को उपरोक्त अभिमत माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **Valluri Jaganmohini Seetharama Laxshmi v. Kopparathi Ramchandra Rao, AIR 1994 AP 284.** में प्रतिपादित विधि पर आधारित है।

- 21— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी छोटी बाई के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में उसके पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत को प्रमाणित करने में सफल रही है। उक्त वसीयत प्रदर्श-पी-1 को प्रतिवादीगण के द्वारा इस आधार पर अपने अभिवचनों में चुनौती दी गई है कि वादी से अप्रसन्न रहने के कारण छोटी बाई ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में दिनांक-20.06.2003 को विवादित भूमि की वसीयत निष्पादित कर पूर्व की वसीयत दिनांक-11.02.2000 को निरस्त कर दिया था। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण जिस वसीयत दिनांक-20.06.2003 के आधार पर वादी के पक्ष में निष्पादित हुई वसीयत दिनांक-11.02.2000 को निरस्त किया जाना एवं दिनांक-20.06.2003 को छोटी बाई की अंतिम वसीयत अपने अभिवचनों में एवं अपनी साक्ष्य में कह रहे हैं, उक्त वसीयत को वादी के द्वारा फर्जी व कूट रचित होना बताया है।
- 22— यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं दिनांक-20.06.2003 की वसीयत प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई हैं तथा उसे प्रकरण में प्रस्तुत न कर उसे प्रमाणित न करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अपने अभिवचनों में एवं कथनों में नहीं दर्शाया। अतः ऐसा दस्तावेज जो निर्णायक हो सकता है और उसे बिना किसी के कारण के प्रकरण में प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं किया जाता है, तो जो पक्ष उसे प्रस्तुत करने के लिये आबद्ध था, उसे प्रस्तुत नहीं करता है, उसके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-114 g के तहत यह उपधारणा की जा सकती है, कि यदि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत होता तो वह उस पक्षकार के हितों के विरुद्ध होता।
- 23— वर्तमान प्रकरण में भी प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक-20.06.2003 की वसीयत के आधार पर वादी के पक्ष में निष्पादित हुई वसीयत को चुनौती दी गई, परन्तु उक्त वसीयत स्वयं प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराई गई, जबकि इसके विपरीत वादी के द्वारा उक्त वसीयत की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-6 प्रकरण में प्रस्तुत की गई हैं, जिसके साक्षी हनीफ खां व इखलाक के शपथ पत्र प्रदर्श-पी-8 व 17 इस बाबत प्रस्तुत किये गये हैं कि उन्होंने प्रदर्श-पी-6 की वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किये और न ही उक्त वसीयत उनके सामने लिखी गई। उक्त दस्तावेज अभिलेख पर आने के बाद भी प्रतिवादीगण ने वसीयत दिनांक-20.06.2003 को विधिवत् प्रस्तुत कर प्रमाणित कराने का प्रयास नहीं किया।

- 24— प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा दिनांक-20.06.2003 को वसीयतनामा निष्पादित होने के बाद भी उसके आधार पर वर्ष 2013 में विवादित भूमि पर नामांतरण कराया गया, जिसे उसने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-11 में स्वीकार किया है। 10 वर्षों तक वसीयतनामों के आधार पर नामांतरण की कोई कार्यवाही चंदेरी में होने के बाद भी न किये जाने पर एवं उसका पर्याप्त स्पष्टीकरण अभिलेख पर न देने से भी दिनांक-20.06.2003 की वसीयत संदेहास्पद प्रतीत होती है। जबकि वादी के द्वारा अपनी वसीयत के आधार पर जिसमें विवादित भूमि का भी उल्लेख है, मकान पर अपने नामांतरण की कार्यवाही की गई, जिस पर आपत्ति करना मेहफूज हुसैन (प्र0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-17 में कहता है, परन्तु ऐसी कोई आपत्ति का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और यदि वादी अपना नामांतरण मकान पर करा रही थी और उसकी वसीयत के आधार पर वादी की वसीयत प्रभावहीन हो गई थी, तो उस समय ही प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अपनी वसीयत को प्रकट क्यों नहीं किया गया।
- 25— प्रतिवादी का वादी के वसीयत को चुनौती देने का यह आधार भी है कि छोटी बाई वादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह उसकी सेवा खुशामत नहीं कर रही थी, परन्तु छोटी बाई की मृत्यु उसी के पास रहते हुये भोपाल में हुई थी तथा वादी के द्वारा ही काज-क्रिया भी की गई। जिसके संबंध में प्रदर्श-पी-3 व 4 के दस्तावेज भी अभिलेख पर हैं। मेहफूज हुसैन (प्र0सा0-2) प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-17 में यह स्वीकार करता है कि मुश्तरी बाई वादी के पास आती जाती रहती थीं, तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-20 में स्वयं वह स्वीकार करता है कि छोटी बाई का देहांत भोपाल में हुआ था तथा उसकी काज-क्रिया भोपाल में हुई थी।
- 26— यदि छोटी बाई दिनांक 20.06.2003 को वसीयतनामा लिखने के समय वादी से प्रसन्न नहीं थी, तो वह वादी के पास भोपाल में जाकर क्यों रहेगी। छोटी बाई का अपने अंतिम समय में वादी के पास रहना एवं वादी के द्वारा ही उसका अंतिम संस्कार किया जाना प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत दिनांक-20.06.2003 के आधार को भी निराधार बनाता है। अतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों से प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा कथित वसीयत दिनांक-20.06.2003 संदेहास्पद प्रतीत होती है।

27— वसीयत के साक्षियों के द्वारा वसीयत का निष्पादन का समर्थन न करने के बाद भी वसीयत को प्रस्तुत कर साक्ष्य अधिनियम की धारा-71 के अनुसार साबित किया जा सकता था, परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः उपरोक्त संपूर्ण स्थिति यह स्पष्ट करती है यदि प्रतिवादीगण के द्वारा कथित वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत होती हो, वह निश्चित रूप से उनके हितों के विपरीत होती उक्त वसीयत अभिलेख पर न होने एवं विधिवत् प्रमाणित न कराये जाने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि छोटी बाई के द्वारा प्रदर्श-पी-1 की वसीयत के निष्पादन के बाद प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित की थी। अतः प्रदर्श-पी-1 की वसीयत ही छोटी बाई की अंतिम वसीयत होना प्रमाणित होता है, जिसका निष्पादन विधिवत् वादी ने अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर साबित किया है।

28— अतः उक्त वसीयत के आधार पर वादी छोटी बाई स्वत्व व अधिपत्य की विवादित भूमि जिसकी वसीयत प्रदर्श-पी-1 वादी के पक्ष में छोटी बाई के द्वारा निष्पादित किया जाना प्रमाणित होने से उक्त वसीयत के आधार पर वादी उक्त विवादित भूमि की स्वत्वधारी होना प्रमाणित होती तथा सआशय बिना किसी पर्याप्त कारण कथित वसीयत दिनांक-20.06.2003 को अभिलेख पर प्रस्तुत न कर प्रमाणित न कराये जाने से उक्त वसीयत वादी हितों के मुकाबले शून्य होना प्रमाणित होती है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1 व 2 प्रमाणित होने से उनका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक-3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

29— प्रतिवादीगण के द्वारा कथित वसीयत के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वसीयत का निष्पादन मेहफूज हुसैन ने दिनांक-20.06.2003 को छोटी बाई के द्वारा उसके पक्ष में किया जाना बताया है, परन्तु स्वयं मेहफूज हुसैन (प्र0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-11 में उक्त वसीयत के आधार पर वर्ष 2013 में विवादित भूमि पर नामांतरण कराना बताता है, जिसके संबंध में वादी की ओर से प्रकरण में नामांतरण के संबंध में तहसील न्यायालय में प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा दिये गये आवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-9 एवं उक्त कार्यवाही की आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-10, इस्तहार की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-11, पटवारी रिपोर्ट

प्रदर्श-पी-12 एवं हनीफ खां व इखलाक खां के कथनों की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-14 व 15 प्रकरण में प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का विवादित भूमि पर नामांतरण स्वीकार हुआ, जिसके आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-8 प्रकरण में संलग्न है, जिसके संबंध में वादी के द्वारा अपील भी प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-7 एवं उक्त नामांतरण के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा किये गये विक्रय पर रोक लगाई जाने के संबंध दिये गये आवेदन प्रदर्श-पी-19 एवं आदेश पत्रिका प्रदर्श-पी-20 की सत्यप्रतिलिपि वादी की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।

30— उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि वर्ष 2003 की वसीयत होने के बाद भी लगभग 10 वर्ष बाद प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा वसीयत के आधार पर विवादित भूमि पर अपने नामांतरण की कार्यवाही की गई, उक्त वसीयत वर्ष 2003 में ही वादी के पक्ष में निष्पादित हुई वसीयत का उल्लेख है, परन्तु नामांतरण से पूर्व उसे सुना तक नहीं गया। नामांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में पारित आदेश प्रदर्श-पी-7 में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के यह पाते हुये भी कि दोनों पक्षों की ओर से विरोधाभासी वसीयतनाम पेश किये गये हैं, जिसे संदेह से परे प्रमाणित करने के लिये उक्त विवाद सिविल न्यायालय की विषयवस्तु मानने के बाद भी यदि दोनों पक्षों की वसीयत के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है, तो तहसीलदार के आदेश को स्थिर नहीं रखा जाना था। अतः प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में हुआ विवादित भूमि के संबंध में नामांतरण का आदेश दिनांक-22.02.2013 विधिसम्मत न होने से वादी के हितों के विपरीत है, जो कि वादी के हितों के मुकाबले शून्य है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

31— छोटी बाई के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में की गई वसीयत प्रदर्श-पी-1 विधिवत् प्रमाणित हुई है, वहीं प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा तथा कथित वसीयत दिनांक-20.06.2003 संदेहास्पद है तथा उक्त वसीयत प्रतिवादगण के द्वारा बिना किसी पर्याप्त कारण के अभिलेख पर प्रस्तुत कर प्रमाणित न कराये जाने से उक्त वसीयत दिनांक-20.06.2003 वादी के हितों के मुकाबले शून्य है। अतः उक्त वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 को कोई अधिकार छोटी बाई के अंश पर विवादित भूमि पर प्राप्त नहीं होता है

और यदि प्रतिवादी क्रमांक-1 को उक्त वसीयत के आधार पर विवादित भूमि में कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हुये, तो उक्त वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि पर अपना नामांतरण करा भी लिया गया एवं उक्त वसीयत के आधार पर विवादित भूमि को दिनांक-13.02.2014 के पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक-4 व 5 को विक्रय कर भी दिया, तो भी उक्त विक्रयपत्र छोटी बाई के हिस्से की विवादित भूमि के संबंध में वादी के हितों के विपरीत होने से उनके हितों के मुकाबले शून्य हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 3 का प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 32— वादी के द्वारा प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की अपने अभिवचनों में मुख्य रूप से यह आपत्ति है कि वादी ने धारा 80 C.P.C. के प्रावधानों का पालन करते हुये धारा 80 (2) के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिये सूचना दिये जाने के उपरान्त विहित समयावधि व्यतीत होने से पूर्व दावा प्रस्तुत कर दिया। जिससे प्रस्तुत दावा प्रचलन योग्य नहीं हैं। यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कृषि भूमि के संबंध में वादी ने दावा संस्थित किया है, जिसमें कि आदेश-1 नियम-3 (ए) के तहत मध्यप्रदेश राज्य को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, जो कि वादी ने अपने दावे में बनाया है। जहां तक धारा 80 C.P.C. के प्रावधानों का पालन न किये जाने का प्रश्न है, तो वादी ने सीधे तौर पर मध्यप्रदेश राज्य से कोई सहायता नहीं चाही है। अतः वादी से धारा 80 C.P.C. के प्रावधान के पालन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उपरोक्त आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि दावे में असंयोजन का दोष है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 5 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक 6 व 7 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 33— प्रतिवादी क्रमांक-1, 2 व 3 ने अपने अभिवचनों में न्यायालय की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता को इस आधार पर चुनौती दी है कि विवादित भूमि का विक्रय पत्र दिनांक-13.02.2014 के अनुसार विक्रय मूल्य 15,50,000/- रुपये है, जिसके कारण न्यायालय को इस बात को सुनने की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता

नहीं है। जिसके संबंध में उल्लेखनीय है कि यह वाद विवादित भूमि पर वसीयत के आधार पर स्वत्व घोषणा की सहायता सहित प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में कथित वसीयत को वादी के हितों के मुकाबले शून्य घोषित किये जाने सहित उक्त वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का नामांतरण एवं निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक-13.02.2014 को शून्य घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता सहित स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई है।

- 34— वादी के द्वारा चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा सहायता घोषणात्मक सहायताओं के परिणामिक अनुतोष के रूप में तथा मुख्य घोषणा की सहायता विवादित भूमि पर स्वत्व घोषित किये जाने की है। अतः इस प्रकरण में न्यायशुल्क की गणना के लिये न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) c के अनुसार न्यायशुल्क का निर्धारण किया जाना था, जिसमें वादी को ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन करना था तथा उक्त ईप्सित अनुतोष की रकम न्यायालय की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के लिये वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा-8 के अनुसार एक ही होगी। चूंकि विवादित भूमि कृषि है इसलिए धारा-8 के अनुसार न्यायालय की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के लिये लगान मूल्य 20 गुना पर निर्धारित करना था, जो कि वादी के द्वारा किया गया है। वादी विक्रयपत्र दिनांक-13.02.2014 में स्वयं पक्षकार नहीं है, इसलिए चाही गई सहायता के लिये विक्रयपत्र की प्रतिफल राशि को लेकर उक्त गणना करने की आवश्यकता नहीं है। वादी के द्वारा लगान के 20 गुना के आधार पर न्यायशुल्क की गणना की जानी थी, जिसके आधार पर यदि न्यायशुल्क की गणना की जावे, तो उससे अधिक न्यायशुल्क 600/- रुपये वादी ने न्यायशुल्क के साथ पेश किया है। अतः उपरोक्त आधार पर इस वाद को सुनने की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को है तथा वादी के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः उक्त आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक 6 व 7 प्रमाणित होने से उनका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक-8 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 35— यह वाद दिनांक-01.02.2014 को प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में हुये नामांतरण के विरुद्ध वादी के द्वारा दायर की गई अपील निरस्त होने पर उक्त दिनांक को वाद कारण दर्शाते हुये दिनांक-12.03.2014 को यह वाद न्यायालय में



प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण का अपने अभिवचनों में कहना है कि छोटी बाई की मृत्यु दिनांक—20.05.2004 को हो गई थी, जिससे यह वाद अवधि बाधित है। यह उल्लेखनीय है कि वाद की गणना वाद कारण दिनांक से की जाती है। वादी को कब वाद कारण उत्पन्न हुआ यह स्वयं वादी ही बताने में सक्षम हैं, छोटी बाई की मृत्यु दिनांक को वसीयत के संबंध में कोई विवाद ही नहीं था, तो वादी को उस समय वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादी ने वाद कारण दिनांक से विहित समयावधि में यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिससे उपरोक्त आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि यह वाद अवधि बाधित है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 8 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक 9 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

#### सहायता एवं वाद व्यय—

36— वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित भूमि पर प्रदर्श—पी—1 की वसीयत के आधार पर अपना स्वत्व प्रमाणित करने में सफल रही है। वहीं वादी के द्वारा प्रतिवादी द्वारा कथित वसीयत दिनांक—20.06.2003 के संबंध में अभिलेख पर ऐसी परिस्थितियां साबित की गई हैं, जिससे उक्त तथा कथित वसीयत संदिग्ध प्रतीत होती है तथा उक्त वसीयत प्रतिवादीगण के द्वारा प्रमाणित न किये जाने से प्रदर्श—पी—1 की वसीयत ही छोटी बाई की अंतिम वसीयत होना प्रमाणित होता है। प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य न होकर प्रतिवादी क्रमांक—4 व 5 का आधिपत्य होना बताया है तथा उक्त आधार पर उनका कहना है कि कब्जे की सहायता न चाहे जाने से यह दावा प्रचलन योग्य नहीं है।

37—यहां यह उल्लेखनीय है कि छोटी बाई जिसके स्वत्व की विवादित संपत्ति थीं, उसका देहांत भोपाल में रहते हुये, वादी के पास ही हुआ है, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है। विवादित भूमि का अब तक बटांकन होकर बटवारा नहीं हुआ, जबकि वसीयत प्रदर्श—पी—1 के आधार पर छोटी बाई को विवादित भूमि के स्वत्व व आधिपत्य उसकी मृत्यु के पश्चात् से ही प्राप्त हो गये थे। विवादित भूमि पर एकांकी रूप से प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है, यह

रामकिशोर (प्र0सा0-1) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-12 में दिये गये कथनों से साबित होता है, कि जिसमें इस साक्षी का कहना है कि वर्तमान विवादित भूमि पर गाजर घास खड़ी हैं। अतः कब्जों के लिये यह कतई आवश्यक नहीं है कि वादी विवादित भूमि पर जाकर बस जायें। वादी का वसीयतनामों के बाद सांकेतिक कब्जा विवादित भूमि पर होना वसीयत के आधार पर अभिलेख पर साक्ष्य से प्रमाणित हो रहा है तथा विवादित भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादीगण का मात्र नामांतरण हो जाने से कब्जा नहीं माना जा सकता है। अतः ऐसे में वादी को पृथक से कब्जों की सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है।

38— अतः उपरोक्त आधार पर वादी अपना दावा साबित करने में सफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है।

01:— यह घोषित किया जाता है कि वादी सादिका विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-914 रकबा 1.118 हैक्टेयर में अंश 0.189 हैक्टेयर भूमि की छोटी बाई द्वारा की गई वसीयत के आधार पर स्वत्वधारी है।

02:— यह घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में छोटी बाई की तथा कथित वसीयत दिनांक 20.06.2003 वादी के स्वत्व के मुकाबले शून्य है तथा वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का विवादित भूमि के संबंध में हुआ नामांतरण भी वादी के हितों के मुकाबले शून्य है।

03:— यह घोषित किया जाता है कि वसीयतनामा दिनांक 20.06.2003 के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 व 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 13.02.2014, विवादित भूमि के अंश भाग की सीमा तक वादी के हितों के मुकाबले शून्य है एवं उक्त आधार पर विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 4 व 5 का हुआ, नामांतरण वादी के

हितों के मुकाबले शून्य है।

- 04:— प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा निषेधित किया जाता है कि वह वादी के स्वत्व व आधिपत्य की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-914 रकबा 1.118 हैक्टेयर में अंश-0.189 हैक्टेयर भूमि में हस्तक्षेप स्वयं व किसी अन्य के माध्यम से न करें।
- 05:— वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 06:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणिकरण के अधीन नियम 523 म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित  
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित  
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.